प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 22 नवम्बर, 2017

विषय : स्थायी अग्रिम की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1676/ना0उ0नि0/2017 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र में उल्लिखित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मूल शासनादेश संख्या-4090प/30-3-5/क्यू/81, दिनांक 24.08.1981, शासनादेश संख्या-672/ना0उ0नि0/180(लेखा)/82 दिनांक 25 जून, 1986, शासनादेश संख्या-770/छप्पन-2000-180(लेखा)/82 दिनांक 09.06.2000 एवं शासनादेश संख्या-1523/छप्पन-15-180(लेखा)/82 दिनांक 19 नवम्बर, 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-67 में उल्लिखित शर्तों के अधीन सरकारी वायुयानों से सम्बन्धित दिन प्रतिदिन के आवश्यक एवं अपरिहार्य आकस्मिक व्यय का वहन करने के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 को रूपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के स्थाई अग्रिम की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुरोध है कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-67 में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं उक्त प्रस्तर के नियम-1 (डी) तथा (4) के अन्तर्गत आहरित स्थायी अग्रिम की धनराशि के समायोजन के मूल बीजकों की प्रतियाँ वांछित विवरणों सहित महालेखाकार तथा शासन को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0 संख्या-87/2017/1676(1)/छप्पन-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ-20

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (लेखा) अनुभाग-1

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।